कम्प्यूटर परिपत्र सं०-2021024 Date-21/10/

Notification No:GST-2020-21/F.No-509/ 55 /Commercial Tax

Office of the Commissioner,
Commercial Tax, Uttar Pradesh,
(GST Section)
Lucknow:Dated: 21 October, 2020

-:NOTIFICATION:-

In exercise of the powers conferred by section 168 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no 1 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), read with sub-rule (5) of rule 61 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said rules), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby specifies that the return in **FORM GSTR-3B** of the said rules for each of the months from October, 2020 to March, 2021 shall be furnished electronically through the common portal, on or before the twentieth day of the month succeeding such month:

Provided further that, for taxpayers having an aggregate turnover of up to five crore rupees in the previous financial year, whose principal place of business is in the States of Uttar Pradesh the return in **FORM GSTR-3B** of the said rules for the months of October, 2020 to March, 2021 shall be furnished electronically through the common portal, on or before the twenty-fourth day of the month succeeding such month.

2. **Payment of taxes for discharge of tax liability as per FORM GSTR-3B.** – Every registered person furnishing the return in **FORM GSTR-3B** of the said rules shall, subject to the provisions of section 49 of the said Act, discharge his liability towards tax by debiting the electronic cash ledger or electronic credit ledger, as the case may be and his liability towards interest, penalty, fees or any other amount payable under the said Act by debiting the electronic cash ledger, not later than the last date, as specified in the first paragraph, on which he is required to furnish the said return.

(Amrita Soni)
Commissioner, Commercial Tax,
Uttar Pradesh

अधिसूचना सं0-जी0एस0टी0/2020-21/फा0सं0-509/ 55 /वाणिज्य कर

कार्यालय-कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश
(जी0एस0टी0 अनुभाग)
लखनऊ::दिनांक: 21 अक्टूबर, 2020

-:अधिसूचना:-

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त नियम कहा गया है) के नियम 61 के उपनियम (5) के साथ पठित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए कमिश्नर, परिषद् की सिफारिशों पर, विनिर्दिष्ट करतीं हैं कि अक्टूबर, 2020 से मार्च, 2021 तक के प्रत्येक मास के लिए विवरणी उक्त नियमों के **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में, ऐसे मास के उत्तरवर्ती मास के बीसवें दिवस को या उसके पूर्व प्रस्तुत की जाएगी :

परंतु यह और कि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त पांच करोड़ रूपए तक का होने वाले करदाताओं के लिए, जिनका कारबार का मुख्य स्थान उत्तर प्रदेश राज्य में है, अक्टूबर, 2020 से मार्च, 2021 तक के प्रत्येक मास के लिए विवरणी उक्त नियमों के **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में, ऐसे मास के उत्तरवर्ती मास के चौबीसवें दिवस को या उसके पूर्व प्रस्तुत की जाएगी :

2. **प्ररूप जीसएटीआर-3ख के अनुसार, कर दायित्व से उन्मोचन के लिए कर संदाय** –उक्त नियमों के **प्ररूप जीसएटीआर-3ख** में विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 49 के उपबंधों के अध्यधीन, कर, ब्याज, शास्ति, फीस या उक्त अधिनियम के अधीन किसी अन्य संदेय रकम का, यथास्थिति, इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते या इलेक्ट्रॉनिक उधार खाते में विकलन द्वारा, जिस तारीख पर उससे उक्त विवरणी देना अपेक्षित है, प्रथम पैरा में यथा विनिर्दिष्ट अंतिम तारीख के पश्चात् नहीं, अपने दायित्व का उन्मोचन करेगा।

(अमृता सोनी)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश